प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 04 जून,2026

विषयः- जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लोकमल उर्फ लोकू पुत्र श्री करोडीमल, निवासी जनपद-रायबरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 21-07-2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी लोकमल उर्फ लोकू पुत्र श्री करोडीमल, जो ग्राम-मोहल्ला गुरूनानक नगर, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-रायबरेली का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.03.1984 को मीरा कुमारी गुप्ता लोकूमल के घर उसकी भतीजी संगीता व हेमा को ट्यूशन पढ़ाने हेतु उनके घर गई थी जहां लोकूमल ने दोनों भतीजीयों को काम के बहाने बाहर भेज दिया तथा लोकूमल ने मीरा कुमारी गुप्ता के साथ गलत हरकत करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-70/1986 में भा0द0वि0 की धारा- 323, 376 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली के दण्डादेश दिनांक 13.08.1986 द्वारा 05 वर्ष का कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 22.03.2010 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 07.03.2025 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.06.2025 तक अपरिहार 00 वर्ष, 08 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 00 वर्ष, 09 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, रायबरेली द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध कारित किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने कोई सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा पुलिस अधीक्षक, रायबरेली की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 05 वर्ष के कारावास के सापेक्ष 16.06.2025 तक अपरिहार 00 वर्ष, 08 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 00 वर्ष, 09 माह, 05 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (मीरा कुमारी गुप्ता के साथ गलत हरकत करने की घटना) एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लोकमल उर्फ लोकू (बन्दी संख्या-81/2025) पुत्र श्री करोडीमल, निवासी जनपद-रायबरेली की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-678/2026/1775(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।